प्रकरण संख्या 07/2023 दुबल व अन्य बनाम मणीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 558, 576, 583, 754, 757, 840, 843, 844, 851, 1035, 1036, 1037 कुल किता 12 रकबा 1.1643 हैक्टर भूमि मौजा भेसरा छोटा, तहसील गलियाकोट में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजियात में कोई स्वामित्व नहीं होते हुए भी वादी की खसरा नंबर 1036 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते की आराजी नंबर 1039 पास–पास होने से वादी की गैर हाजरी में अवैध तरीके से आराजी नंबर 1036 के कुछ भाग 10 गुणा 10 फिट पर कच्चा टापरा बना लिया है, जिसकी जानकारी वादी को होने पर प्रतिवादीगण ने बतया कि हमारे नये मकान का काम चल रहा है तथा मकान का काम पूरा होते ही अस्थायी टापरा हटा लेंगे, किन्तु बाद में प्रतिवादीगण की नियत खराब हो जाने से उसे अपनी जमीन पर बनाना बताने लगे, जिस पर वादी ने सीमांकन करवाया तो वादी के खसरा नंबर 1036 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया गया तथा प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु पाबन्द किया गया, किन्तु प्रतिवादीगण ने आज दिनांक तक कब्जा नहीं हटाया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी नंबर 1036 में किये गये अतिक्रमण से बेदखल किया जावे तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार का जवाब लेकर तथा रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 04.07.2022 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल करने एवं वादी को कब्जा दिलाने तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से अपीलान्टगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सागवाडा से उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट में दिनांक 16.07.2020 को अन्तरित की गयी, जिसकी सूचना अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को कभी नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्टगण अपना पक्ष नहीं रख पाये। अपीलान्ट का मकान वादी की आराजी नंबर 1036 पर नहीं बना है तथा इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की आराजी नंबर 1036 पर अपीलान्टगण का मकान बना होना मानकर निर्णय पारित कर दिया। निर्णय के साथ कोई डिक्री जारी नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 6, 6ए, 7 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय पैरोकार ने बताया कि विवादित आराजी नंबर 1036 रेस्पोन्डेन्ट मणीलाल के खातेदारी में है जबकि उस पर बने कच्चे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested

केलुपोश मकान बने होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार वाद दिनांक 21.02.2019 को उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा में दर्ज हुई दिनांक नया उपखण्ड गलियाकोट बनने के कारण पत्रावली दिनांक 16.07.2020 को उपखण्ड अधिकारी, गलियाकोट में स्थानान्तरित की गयी, किन्तु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, गलियाकोट में रखे जाने की कोई सूचना प्रतिवादी/अपीलान्ट को दी गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उसका मकान आराजी नंबर 1036 पर नहीं बना होकर अन्य आराजी पर बना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से वह अपना पक्ष नहीं रख सके। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि दिनांक 01.04.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिससे प्रतिवादी/अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/2019 दिनांक 04.07.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
Signature Not Verified**उदयपुर**

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested